

10

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-3/2019/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त, 2019

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश ।

विषय- मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में ।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-5/2017/नियम/चार दिनांक 11 अप्रैल, 2019 के अनुसार द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई, 2018 से छटवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 148% की दर से एवं सातवें वेतनमान में 9% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है।

2/ राज्य शासन द्वारा राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत की दर में जनवरी, 2019 से निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है :-

| सरल क्रमांक | अवधि जब से देय है | मंहगाई राहत में वृद्धि की दर | | वृद्धि के परिणामस्वरूप मंहगाई राहत की दर प्रतिशत में | |
|-------------|---|------------------------------|----------------|--|----------------|
| | | छटवां वेतनमान | सातवां वेतनमान | छटवां वेतनमान | सातवां वेतनमान |
| 1. | दिनांक जनवरी, 2019 से (माह जनवरी, 2019 की पेंशन/परिवार पेंशन जो फरवरी, 2019 में देय होगी) | 6% | 3% | 154% | 12% |

80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी ।

3/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण

3

पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महँगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति / पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महँगाई राहत की पात्रता नहीं होगी परन्तु यदि पति / पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महँगाई राहत की पात्रता होगी।


4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महँगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।

6/ महँगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

7/ राज्य शासन के समस्त पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्रं. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महँगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। संचालक पेंशन, बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करें तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में कराया जाना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अजय चौबे)

उप सचिव

म.प्र. शासन, वित्त विभाग